

costs. Let there be adequate power supply and means of transport and communications, Let special games tourist police be available to assist the guests. And above all, let there be 100 per cent security to prevent a Munich (1972) or a Lahore! I would urge upon the Government to activate and revamp all agencies concerned to take care of all the above aspects with the same zeal and vigour, as is being shown in completion of infrastructure.

**Concern over deterioration of environment due to increasing
pollution in the country**

श्रीमती जया वच्चन (उत्तर प्रदेश) : महोदय, हमारे महानगर रोज 21,275 टन कचरा उत्पन्न करते हैं, 60% untreated sewage नदियों और समुद्रों में फेंक दिए जाते हैं। प्रतिदिन traffic jam की वजह से 11.5 करोड़ रुपये का 30 लाख लीटर fuel बर्बाद होता है। यह तो सिर्फ दिल्ली का उदाहरण है।

मुम्बई के कुछ हिस्सों में, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 1,01,066 लोग ठुंसे हुए हैं, इस पर भी हर मिनट 30 भारतीय अपने गांव को छोड़ कर शहरों की ओर रुख करते हैं।

Commonwealth Games के दौरान हवा में घुल चुके जहर के खतरे की घोर अनदेखी की जा रही है। केवल एक साल बचा है और प्रयास अधूरे हैं।

देश की नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर 2800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन पिछले दस वर्षों में यमुना 10 गुना और प्रदूषित हुई है। Interceptors लगा कर अगले 6 सालों में यमुना को Thames बनाने की बात की जा रही है और करीब 2400 करोड़ रुपये और खर्च होंगे। देश में इस तरह के उदाहरणों की कमी नहीं है।

Green Agenda और Carbon Trading की बात करने से पहले हमें प्रदूषण की घरेलू realities पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, अन्यथा प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए देश को 14 दिल्ली, 18 मुम्बई या 30 बेंगलुरु जैसे शहरों की जरूरत पड़ेगी। पर्यावरण मंत्री इसे देखें। धन्यवाद।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal): Sir, I associate myself with the Special Mention made by my colleague. Thank you.

Demand to introduce health insurance scheme for tailors in the country

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : महोदय, भारत से गारमेंट काफी बड़ी तादाद में निर्यात होता है, लेकिन सिलाई कारीगरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सिलाई कारीगरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है, जबकि निर्यातकों के लिए अनेक योजनाएं हैं। मेहनत करने वाले सिलाई कारीगरों के लिए एक जीवन सुरक्षा योजना जरूरी है। निर्यातकों द्वारा सिलाई श्रमिकों का आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक शोषण किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हथकरघा बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। इसी तरह की बीमा योजना सिलाई कारीगरों के लिए भी होनी चाहिए, जिससे सिलाई श्रमिकों के शारीरिक विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अरबों रुपये के गारमेंट निर्यात में योगदान देने वाले सिलाई श्रमिकों पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए।